

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करेडा जिला-भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी :-महीपाल सिंह, आर0ए0एस0

मुकदमा संख्या :-87/2020 100 पत्र

श्री सीरा 90 फेमालुर्ज निर गोरखपुरा तबरेड

--प्रार्थी।

सन्

न  
अ  
अ

1. श्री मांगी मालु 90 श्री सोराम गुर्ज निर गोरखपुरा तबरेड  
बनाम  
--विपक्षीगण।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0भू0रा0अधि0 1956

:: निर्णय ::

दिनांक: 18/8/2020

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0 भू0 राज0 अधि01956 के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम गोरखपुरा पटवार हल्का गोरखपुरा अ0नि0 क्षेत्र पटवार में उनके खाता संख्या 251 की आ0नं. 1016/847 1083/717 रकबा 4.00 बीघा की स्थित है। इस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदाविया के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा में विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थीगण अपने खाते/संयुक्त खातों की भूमि की पत्थरगडी गदेश प्रदान कराये जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 29/8/2020 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की होने से रगडी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की फ़ैरी होने का अदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

:: आदेश ::

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया कर ग्राम गोरखपुरा पटवार हल्का गोरखपुरा अ0नि0 क्षेत्र पटवार में उनके खाता संख्या 251 की आ0नं. 1016/847 रकबा - 2.11 बीघा, 1083/717 रकबा 4.00 बीघा - भूमि स्थित है।

के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगडी किये जाने हेतु भू.अ.नि.0. 1956 को 650/- रुपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर इस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावे। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में मौके व बजे की यथास्थिति को बनाये रखते हुये मुस्तकिल बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगडी की जावें। फसल डी होने पर पत्थरगडी नहीं की जावे।

लंगन :-प्रार्थना पत्र प्रति।

उपखण्ड अधिकारी  
करेडा (जिला भीलवाडा)

तिलिपि :- तहसीलदार करेडा को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगडी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी  
करेडा (जिला भीलवाडा)